डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म0प्र0)
DR.HARI SINGH GOUR VISHWAVIDHYALAYA, SAGAR (M.P.)
(A Central University)
Telefax: 07582-264300
07582 -264204
Website- www.dhsgsu.ac.in

Ref. No.: Exam./2012-13/ 240 Sagar, - 19/10/12

प्रति

प्राचार्य महोदय (अग्रणी महाविद्यालय)
जिला--सागर,दमोह,छतरपुर,टीकमगढ़,पन्ना एवं छिन्दवाड़ा ।
संबद्ध डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

विषयः—बाह्य परीक्षकों के यात्रा देयक/पारिश्रमिक का भुगतान महाविद्यालय स्तर पर कराने बावत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होने वाली समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर की प्रायोगिक/प्रोजेक्ट परीक्षाओं के संबंध में नियुक्त बाह्य परीक्षकों के यात्रा देयकों/परीक्षा पारिश्रमिक देयकों का भुगतान महाविद्यालय द्वारा किया जायें ताकि परीक्षकों को देयकों का भुगतान तत्काल प्राप्त हो सकें तथा भुगतान पश्चात् देयकों का समायोजन विश्वविद्यालय से करा ले। देयकों के भुगतान एवं समायोजन निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रख कर करना होगा :—

1. देयको के भुगतान हेतु शासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा संचालन हेतु दी गई अग्रिम राशि से भुगतान करायें ।
2. अशासकीय महाविद्यालय देयकों का भुगतान अपने महाविद्यालय स्तर पर अपने खर्चे से करें तथा विश्वविद्लाय को देयक प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करें ।
3. परीक्षक का नाम विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित पैनल सूची में से होना चाहिए ।
4. यदि परीक्षक द्वारा कार यात्रा से की जाती है तो 5 रूपये प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जा सकता हैं जिसमें प्राचार्य द्वारा टीप सहित सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा ।
5. बस/रेल से यात्रा करने पर यात्रा टिकिट संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
6. यात्रा देयक म.प्र. शासन के नियमों के अनुरूप ही भुगतान/समायोजन किया जायें ।
7. पारिश्रमिक देयकों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार देय होगी ।
8. पारिश्रमिक देयकों के भुगतान में से 3 प्रतिशत की राशि शिक्षक कल्याण कोष/छात्र सहायता कोष से कटौती की जाना आवश्यक हैं ।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये देयकों का भुगतान कराने का कष्ट करें तथा प्रायोगिक/प्रोजेक्ट की परीक्षाऐं शीघ्र आयोजित करा कर अंक विश्वविद्यालय को प्रेषित करें । यदि बाह्य परीक्षकों द्वारा समय पर परीक्षा सम्पन्न कराने में सहयोग प्रदान नहीं किया जाता हैं अथवा बिना किसी कारण के यदि परीक्षक द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की जाती है तो इस संबंध में विश्वविद्यालय को तत्काल सूचित करें ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आदेशानुसार
18/10
उपकुलसचिव (परीक्षा)

प्रतिलिपिः
1. प्राचार्य, समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर ।
2. वित्ताधिकारी ।
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/लेखा/ऑडिट ।
4. सेक्शन आफीसर, (परीक्षा) ।
5. कुलसचिव के निजि सहायक ।
6. कुलपति जी के निजि सचिव ।

18/10/12
सहायक कुलसचिव (परीक्षा)